

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 58/2024

अनवान : -

1. पालाराम पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
हाल निवासी नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

- सायल

बनाम्

1. महावीर पुत्र लालचन्द जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी नाथुसरी
चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
3. कृष्ण पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी
नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
5. बनाराम पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी
नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
6. शिमला पुत्री महावीर पत्नी कृष्ण जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल
निवासी पालड़ी तहसील भादरा।
7. शारदा पुत्री महावीर पत्नी पोलुराम जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल
निवासी बांसड़ा तहसील भादरा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता सायलान


निर्णय

दिनांक: 25/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल व गैरसायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा भूमि गैरसायल अकेले नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय कर रहा है जिससे


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल को अपूर्ण्य क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 7 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावे क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्ड्ड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन- सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अ
उपखण्ड अधिकारी
बोहर

3. अपूर्णाय क्षतल- अपूर्णाय क्षतल से तात्पर्य एक तात्विक क्षतल से है जिसकी पूर्तल नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकल न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णाय क्षतल भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णाय क्षतल साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25/02/2015 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर